

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी सं.- 12/2025

जीसीएमएस संख्या - (2025/44)

निगरानीकर्ता/प्रार्थी:-

ललित शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार उम्र 29 वर्ष जाति शर्मा निवासी धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:-

1. ग्राम पंचायत धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. रिकबचंद पुत्र श्री शंकरलाल पालरेचा जाति जैन निवासी धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर हाल निवासी सत्यम ज्वैलर्स, 264/1, एम.एस. चॉल, पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, धारावी-400017

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा बुक सं. 02, पट्टा संख्या 16 दिनांक 05.10.2021, मिसल सं. 176/2021-22 ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा जारी किया गया, को निरस्त कराने हेतु।

पंचायत निगरानी सं.- 13/2025

जीसीएमएस संख्या - (2025/45)



निगरानीकर्ता/प्रार्थी:-


ललित शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार उम्र 29 वर्ष जाति शर्मा निवासी धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:-

1. ग्राम पंचायत धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. अमृतलाल पुत्र श्री शंकरलाल पालरेचा जाति जैन निवासी धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर हाल निवासी 158, Model House, Flate No. 9, 2nd floor, Dr. Ambedkar Road, Opp. Shabri Hotel Sion East Mumbai-400022

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा बुक सं. 02, पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.10.2021, मिसल सं. 173/2021-22 ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा जारी किया गया, को निरस्त कराने हेतु।


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पंचायत निगरानी सं.- 14/2025

जीसीएमएस संख्या - (2025/46)

निगरानीकर्ता / प्रार्थी:-

ललित शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार उम्र 29 वर्ष जाति शर्मा निवासी धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण / गैर निगरानीकार:-

1. ग्राम पंचायत धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. सरोज देवी पत्नी श्री शांतिलाल पालरेचा जाति जैन निवासी धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर। हाल निवासी 87/11 shankar vila Co-Op- Society Jain Mandir Road Near SIES College Sion West Mumbai 400022

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा बुक सं. 02, पट्टा संख्या 17 दिनांक 05.10.2021, मिसल सं. 177/2021-22 ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा जारी किया गया, को निरस्त कराने हेतु।

उपस्थिति :-

1. निगरानीकार स्वयं उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह (अप्रार्थीपक्ष 02 की ओर से)।




-निर्णय-

दिनांक : 28.07.2025

1. उक्त विवरण की तीनों निगरानियां राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर ग्रामीण में दिनांक 09.01.2024 को पेश की गई थी, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 14.01.2025 को दर्ज की गई। ये तीनों निगरानियां समान प्रकृति, एक विषयवस्तु तथा समान तिथियों में प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टे जारी करने से संबंधित होने से तथा सभी में एक समान विधिक व विवादस्वरूप प्रश्न निहित होने से, सुविधा की दृष्टि से, उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की सहमति से इन्हे समेकित किया जाकर, एक ही समान निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे। निम्न विवरण के पट्टों को निरस्त करने की मांग की है:-

(a) **निगरानी सं. 12/2025-** मिसल सं. 176/2021-22, पट्टा बुक सं. 02, पट्टा सं. 16 दिनांक 05.10.2021 (पट्टाधारी रिकबचंद)


(b) **निगरानी सं. 13/2025-** मिसल सं. 173/2021-22, पट्टा बुक सं. 02, पट्टा सं. 13 दिनांक 05.10.2021 (पट्टाधारी अमृतलाल)


अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(C)निगरानी सं. 14/2025— मिसल सं. 177/2021-22, पट्टा बुक सं. 02,
पट्टा सं. 17 दिनांक 05.10.2021 (पट्टाधारी सरोजदेवी)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। ग्राम पंचायत धुंधाडा से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री ईश्वर सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।
3. निगरानी मीमों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त सारवान तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त भूखण्ड सं. 120 की भूमि शंकरलाल ने बेचाननामा से दिनांक 19.08.1996 को भवानी एग्रीकल्चर फार्म प्राईवेट लि. कं. से खरीदा तथा शंकरलाल के देहांत के बाद उनका पुत्र कांतिलाल काबिज हुए तथा कांतिलाल से जरिये बेचान इकरानामा वर्ष 2020 से ही निगरानीकर्ता ने कय किया है तथा पिछले तीन सालों से भूखण्ड पर काबिज है, जिसकी शेष राशि दिनांक 19.08.2023 को चुकायी गई है। उक्त वास्तविक स्थिति के बावजूद ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.10.2021 को अप्रार्थी 2 के नाम पट्टा जारी किया है जिस बाबत ग्रामसभा ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया तथा बिना प्रस्ताव के ही बाले बाले नियमन की कार्यवाही की है, जिसमें पट्टा जारी करने के पंचायतीराज नियमों की अनदेखी की गई है। मौके पर भूखण्ड खाली है, फिर भी भूखण्ड पर मकान निर्मित होना बताकर नियमन किया है, जो झूठा तथ्य है। मौक पर कब्जा प्रार्थी का है। मिसल को कभी भी साधारण सभा में नहीं रखा गया। नियम.146(3) के तहत निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट फर्जी है। कमेटी की नियुक्ति साधारण सभा ने नहीं की है। नियम 148 के तहत जारी इश्तिहार में मिसल सं. व भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 मुम्बई का निवासी है, उसका भूखण्ड पर कोई कब्जा/पुश्तैनी मकान नहीं है। 40 वर्षों का कोई निर्माण नहीं किया हुआ है। अतः नियमन नहीं किया जा सकता, बल्कि निलामी होनी चाहिए थी। विवादग्रस्त भूखण्ड बेशकीमती लगभग 10 लाख रुपये का है, जिसका नियम 157 के तहत नियमन करने से राजस्व की भारी हानि हुई है तथा अप्रार्थी से मात्र 200/- रुपये वसूल किया है। प्रार्थी को इस पट्टे की जानकारी दिनांक 02.01.2024 को हुई, इसके बाद यह निगरानी तुरंत पेश की है। मिसल में पं.स. रानी, जिला पाली लिखा है।

अप्रार्थी ने भूखण्ड पर मकान व चार दीवारी बताकर गलत पट्टा उठाया है। जिसे निरस्त किया जावे। निगरानी के साथ निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करने बाबत प्रार्थना पत्र भी पेश किया है, जिसमें प्रार्थी को व्यथित व्यक्ति बताया है।


सुप्रसन्न जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. प्रार्थी स्वयं एवं अप्रार्थी सं. 2 के विद्वान अतिभाषक की बहस सुनी गई।
5. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अनुमति प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस प्रकार से किया जाता है—

a) प्रार्थी ने यह निगरानी याचिका इस आधार पर पेश की है कि, वह वादग्रस्त भूखण्ड का एग्रीमेंट टू-सेल के जरिये क्रेता है। उसने यह भूखण्ड कांतिलाल शर्मा से बेचान करार के जरिये कय किया है तथा वादग्रस्त भूखण्ड पर काबिज है तथा व्यथित व्यक्ति (Aggrieved Person) है तथा निगरानी याचिका व्यथित व्यक्ति की हैसियत से पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

b) निर्विवाद रूप से विवादग्रस्त भूखण्ड की भूमि ग्राम धुंधाडा की आबादी भूमि है तथा आबादी भूमि का विक्रय करने का एकमात्र अधिकार, संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत को ही प्राप्त है तथा ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 167 तक में विहित की गई प्रक्रिया अपना कर ही आबादी भूमि का विक्रय कर सकती है।

c) प्रार्थी/याची ने तृतीय पक्षकार कांतिलाल शर्मा से एग्रीमेंट टू सेल से वादग्रस्त भूखण्ड कय करना बताया है, परंतु कांतिलाल के पक्ष में जारी विधिवत पट्टा विलेख पेश नहीं किया है तथा न ही एग्रीमेंट टू सेल पेश किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थावर संपत्ति का हस्तांतरण केवल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से होने पर ही मान्य है तथा एग्रीमेंट टू सेल का भी भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(f)(b) तथा अपंजीकृत दस्तावेज को 1908 के एक्ट की धारा 49 के प्रावधानानुसार साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसा ही मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने SBCWP No. 18594/2011 (D/d 25-05-2016) (श्रीचंद बनाम सिविल जज व अन्य) में प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार Suraj Lamp Industries Pvt Ltd. V/S State of Haryana, AIR 2012 SC 206 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि पावर ऑफ एटोर्नी/अपंजीकृत दस्तावेज/इकरारनामा के आधार पर क्रेता को कोई टाईटल प्राप्त नहीं होता है तथा ऐसा दस्तावेज विधि की नजर में शून्य है।

d) प्रार्थी स्वयं के कथनानुसार विवादग्रस्त भूखण्ड मौके पर रिक्त है तथा किसी प्रकार का निर्माण भूखण्ड पर नहीं है, प्रार्थी/याची ने भी विवादग्रस्त भूखण्ड पर अपना पुराना भवन निर्माण होने का सबूत पेश कर ग्राम पंचायत को नियम 157(1) के तहत पट्टा हेतु कोई आवेदन पेश करना नहीं बताया है तथा न ही




अपर जिला फलकटर (प्रथम)
जोधपुर

ऐसा कोई सबूत याचिका के साथ पेश किया है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त भूखण्ड पर याची का कोई हित/अधिकार/टाईटल सृजित नहीं होता है तथा याची को व्यथित व्यक्ति (aggrieved person) नहीं माना जा सकता।

e) परंतु याची ग्राम धुंधाडा का निवासी होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में बरती गई अनियमितता (Irregularity) के विरुद्ध एक आम नागरिक के रूप में आवाज उठा सकता है तथा उसे 'Interested Party' कहा जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह ऐसी अनियमितताओं की जांच कर आवश्यक कदम उठाएं। ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रामीण निगरानी याचिका पेश कर सकता है। ऐसा ही मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने SBCWP No. 8096/2008 (D/d-23-10-2008) (राजाराम सेवा संस्थान बनाम राज्य) में प्रतिपादित किया है। आज्ञात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करने पर याचिका कभी भी दायर की जा सकती है। ऐसा ही मत-भगवान लाल बनाम स्टेट SBCWP No. 938/1997, RHC Jodhpur निर्णय दिनांक 23.09.2014 में दिया है।

DBSAW No. 647/2021 (श्रीमती अंतर कंवर बनाम राज. राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 में माननीय राज. उच्च न्यायालय ने निम्न व्यवस्था दी है-"The Petitioner has not produced any document showing his right, title or interest on the land in question. Section 97 pertains to the power of revision. This provision cannot be construed to as to permitting even a person to invoke the power of sub section 1 of section 97. Person must have interest." Revision petition was dismissed by collector, Single Bench as well as by the Division bench.

f) उक्त तथ्यात्मक व विधि विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार, प्रार्थी/याची को व्यथित व्यक्ति (Aggrieved person) के रूप में माना जाकर, यह निगरानी पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिका अनुसार याची भी पंचायत की आबादी भूमि पर, अवैध व अमान्य बेचान इकरारनामा के आधार पर कब्जा करके सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना चाहता है तथा आक्षेपित पट्टों को निरस्त करवाकर स्वयं अपने हक को मजबूत करना चाहता है। अप्रार्थी 2 ने ऐसी ही शंका व्यक्त की है।


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतः व्यक्ति व्यक्ति की हैसियत से याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु याची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना सारहीन व बलहीन, विधि प्रावधानों के विरुद्ध होने से अस्वीकार किया जाता है।

g) प्रकरण के तथ्यों अनुसार ग्राम पंचायत ने विवादग्रस्त पट्टे जारी करने में गंभीर रूप से अनियमितता बरती है। अतः इस निगरानी को यह न्यायालय स्वप्रेरणा से दायर होना मानकर, उसका मेरिट पर निस्तारण करना न्यायोचित मानता है, ताकि जनहित में सार्वजनिक बेशकीमती संपत्ति की सुरक्षा की जा सके तथा इस पवित्र उद्देश्य के लिए याची/प्रार्थी का सहयोग इस याचिका के निस्तारण में लिया जा रहा है तथा याची को बहस हेतु अनुमत किया जा रहा है।

h) इस निगरानी में पारित निर्णय के फलस्वरूप विवादग्रस्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता के पक्ष में किसी भी प्रकार के हक, अधिकार, स्वत्व, या आधिपत्य से संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

6. प्रार्थी की ओर से प्रार्थी स्वयं ललित शर्मा ने निगरानी मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि भूखण्ड को तीन भागों में बांटकर तीन प्लॉट बनाए गये तथा दिनांक 18.04.2021 को पट्टा हेतु आवेदन पेश हुए। मौके पर आज भी भूखण्ड रिक्त है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण किया हुआ नहीं है। 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत सिर्फ पुराने निर्मित मकानों का ही नियमन किया जा सकता है। पत्रावली पर पुराना भवन निर्मित होने का कोई साक्ष्य नहीं है तथा न ही पानी, बिजली के बिल पेश किये गये हैं। मौके पर प्रार्थी काबिज है सन् 1996 में क्रय किया, तभी से काबिज है। उसी प्लॉट पर निर्माण बताकर फर्जी पट्टे जारी किये हैं। अतः पट्टे खारिज योग्य है।

7. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री ईश्वर सिंह, एडवोकेट ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत ने पूरी प्रक्रिया अपना कर पट्टे जारी किये हैं। आवेदन पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करने हेतु किया जिसकी जांच पंचायत द्वारा नियुक्त तीन पंचों की कमेटी ने की तथा नक्शा प्रमाणित कर रिपोर्ट 20.09.2021 को पेश की, इसके अतिरिक्त नियम 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गईं। 30 दिन की अवधि में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर पट्टे जारी किये हैं। हमारा कच्चा मकान तोड़ने पर एफआईआर दर्ज हुई, प्रकरण धारा 482 सीआरपीसी में उच्च न्यायालय तक गया। पंचायत ने हमारे पुराने कब्जे की जांच करने के बाद ही सही पट्टे जारी किये हैं, जो कि पंचायत के रेकॉर्ड से साबित है। प्रार्थी हमारा



अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्लॉट हडपना चाहते हैं। प्रार्थी ने भूखण्ड खरीदने के सबूत में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अतः निगरानी अस्वीकार की जावे।

8. प्रार्थी ने रिबटल बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने झूठा शपथ पत्र दिया है जिस बाबत धारा 420 इत्यादि में मुकदमा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड खरीदने के दस्तावेज पेश किये हैं।

प्रार्थी ने पुलिस थाना लूणी में दर्ज एफआईआर सं. 235/2023 की प्रति एवं न्यायिक दृष्टांत SBCWP No. 2597/2018 निर्णय दिनांक 23.02.2018 की प्रति पेश की तथा हमारा ध्यान नियम 157 की ओर दिलाया।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व ग्राम पंचायत धुंधाडा से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन कर अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं नियम 157(1) का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।


10. (a) यह निगरानी ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा मिसल सं. 177/2021-22 में जारी पट्टा सं. 17 दिनांक 05.10.2021 को निरस्त करने हेतु पेश की है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल सं. 177 में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार आवेदक सरोज देवी ने दिनांक 18.04.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 145 पेश कर 30 वर्षों से पुराने पैतृक कब्जे के आधार पर 200 वर्गगज का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत को पेश किया।

(b) ग्राम पंचायत ने दिनांक 04.08.2021 (प्रस्ताव सं. 3) को स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी नियुक्त की।

(c) कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 20.09.2021 को रिपोर्ट की पुष्टि की तथा एक माह में सार्वजनिक आक्षेप पेश करने की इशतिहार जारी करने का प्रस्ताव पास किया। दिनांक 20.09.2021 को इशतिहार प्रारूप 22 में जारी हुआ तथा आवेदक से पुराना कब्जा का सबूत मांगा गया तथा दो गवाहों के शपथ पत्र/बयान पेश करने को निर्देशित किया।

(d) ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.10.2021 प्रस्ताव सं. 1 अनुसार आपत्ति इशतिहार की म्याद समाप्त हो चुकी है। अंदर म्याद कोई आपत्ति पेश नहीं हुई हैं। अतः 30 वर्ष पुराना कब्जा/पैतृक मकान होने से नियम 157 क/ख के तहत 200 रुपये लिए जाकर पट्टा जारी किया जावे। दिनांक 05.10.2021 को प्रार्थी सरोज व गवाह भलाराम व विजयराज के बयान लिए गये, जो पूर्व में ही छपे हुए प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाकर दर्ज किये हैं। इस संबंध में ग्राम




अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पंचायत की बैठक दिनांक 05.10.2021 का प्रस्ताव सं. 01 की पालना में मिसल की आदेशिका दिनांक 05.10.2021 में पट्टा जारी करने का उल्लेख है तथा विवादित पट्टा सं. 17 भी दिनांक 05.10.2021 को प्रस्ताव सं. 01 की पालना में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धुंधाडा के हस्ताक्षरों से प्रारूप 23क (नियम 157(1)) के तहत 200 वर्गगज का जारी किया गया।

(e) उक्त बिंदु सं. (c) एवं (d) में दिये गये निष्कर्षों अनुसार राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानानुसार सार्वजनिक आपित्तयां जारी करने का निर्णय ग्राम पंचायत ने बैठक दिनांक 20.09.2021 में प्रस्ताव 01 से पारित किया है तथा सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 20.09.2021 को जारी किया गया है, परंतु एक माह की आज्ञात्मक अवधि समाप्त होने से पूर्व ही ग्राम पंचायत ने बैठक दिनांक 05.10.2021 में प्रस्ताव सं. 01 पारित कर नियम 157(1)(ख) में पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसकी पालना में विवादग्रस्त पट्टा सं. 17 दिनांक 05.10.2021 को ही जारी किया गया है, जो स्पष्ट नियमों की अनदेखी करके प्रस्ताव पारित कर जारी किया है। इस संबंध में नियम 148 के प्रावधान उल्लेखित करना उचित है, जो इस प्रकार है:-

148. नोटिस का जारी और प्रकाशित किया जाना:-

(1) यदि पंचायत अंतिम रूप से यह विनिश्चय करे कि विक्रय किया जाये तो वह उप नियम (2) में अधिकथित रीति से प्रपत्र 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के संबंध में इसके प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी।



उप नियम (1) में निर्दिष्ट दो प्रतियों में नोटिस तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात् पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी।

149. आक्षेपों का निपटारा:- नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त हस्तक्षेप, यदि कोई हो, पंचायत द्वारा संबंधित पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निपटाये जायेंगे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ ने DBSAW No. 149/2019 (ललित कुमार बनाम स्टेट) में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2020 में प्रतिपादित किया है कि मौके पर आवास बना होना जरूरी है तथा खाली भूखण्ड पर नियमन से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता तथा कोई भी व्यक्ति अधिकार


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के रूप में नियमन का दावा नहीं कर सकता। इसी प्रकार 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार नियमों में दिये गये विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों में दी व्यवस्था से स्पष्ट है कि नोटिस को चरपा करने की तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन का समय आक्षेप पेश करने हेतु दिया जायेगा तथा प्रावधान आज्ञात्मक है, परंतु हस्तगत प्रकरण में नोटिस दिनांक 20.09.2021 को जारी किया गया है, परंतु वांछित स्थानों पर किस तारीख को, किन-किन स्थानों पर, किसके द्वारा एवं किन दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मौजूदगी में चरपा किया गया है, इसका कोई अभिलेख नहीं है तथा न ही नोटिस की कार्यालय प्रति पर ऐसा पृष्ठांकन किया हुआ है, फिर भी दिनांक 05.10.2021 को अर्थात् 15(पन्द्रह) दिन की अवधि में ही अंतिम पट्टा जारी कर दिया गया है, जो स्पष्ट आज्ञात्मक प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।

(f) इसके अतिरिक्त निरीक्षण कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है, वह पहले से ही प्रिंटेड फॉर्म में है तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति मात्र दिखावे को लिये की गई है। भवन निर्माण का तथ्य पहले से ही प्रिंटेड है। आवेदकों ने पुराना कब्जा होना व निर्मित भवन होने का कोई सबूत पेश ही नहीं किया है, फिर भी मात्र 200 रुपये लेकर कीमती भूमि का नियमन किया गया है, जो गलत है।

11. उपरोक्तानुसार, तथ्यात्मक व विधिक दृष्टिकोण से किये गये विवेचन व विश्लेषणानुसार, ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टे, कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके जारी किये हैं तथा पट्टे जारी करते समय नियमों में दिये गये प्रक्रियात्मक आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत निगरानियां स्वीकार योग्य है तथा जारी किये गये पट्टा विलेख एवं पारित संकल्प निरस्त करने योग्य है।

आदेश



12. (अ)ग्राम पंचायत धुन्धाडा द्वारा मिसल सं. 173/2021-22 में पट्टा बुक सं. 02 में जारी पट्टा सं. 13 दिनांक 05.10.2021 बहक श्री अमृतलाल पुत्र. शंकरलाल पालरेचा को निरस्त किया जाता है।

(ब)ग्राम पंचायत धुन्धाडा द्वारा मिसल सं. 176/2021-22 में पट्टा बुक सं. 02 में जारी पट्टा सं. 16 दिनांक 05.10.2021 बहक श्री रिकबचंद पुत्र शंकरलाल को निरस्त किया जाता है।


अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(स)ग्राम पंचायत धुन्धाडा द्वारा भिसल सं. 177/2021-22 में पट्टा बुक सं. 02 में जारी पट्टा सं. 17 दिनांक 05.10.2021 बहक श्री सरोज देवी पत्नी श्री शांतिलाल को निरस्त किया जाता है।

(द)ग्राम पंचायत धुन्धाडा द्वारा उक्त (अ), (ब) व (स) में वर्णित पट्टों को जारी करने हेतु पारित प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 04.08.2021, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.09.2021, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.10.2021 को (उक्त पट्टों की सीमा तक) अपास्त किया जाता है।

13. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत धुन्धाडा को लौटाया जावे।
14. निगरानीकार द्वारा निगरानी याचिका में कथन किया है कि विवादग्रस्त भूमि रिक्त है तथा इस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है तथा अगर भूमि को निलाम किया जावे तो पंचायत को लाखों रूपयों की आय हो सकती है तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में मात्र 200 रूपये में नियमन करने से ग्राम पंचायत को भारी राजस्व हानि हुई है। अतः निगरानीकर्ता के कथनों के परिप्रेक्ष्य में हमारा सुझाव है कि ग्राम पंचायत धुन्धाडा विवादग्रस्त भूमि का विक्रय, अगर खुली निलामी से करती है, तो यह आमजन के हित में होगा तथा ग्राम पंचायत को आर्थिक संबल मिलेगा एवं प्राप्त आय से जनहित के कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत ग्राम पंचायत निर्णय लेने में स्वतंत्र है।
15. इन निगरानीयों में लंबित अन्य सभी प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।
16. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।



(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर